UPET010049442025

<u>न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-01, एटा।</u>

<u>उपस्थितः मनीषा - 'एच०जे०एस०', J.O. CODE UP6137</u>

<u>सत्र परीक्षण संख्या- 1106/2025</u>

राज्य **बनाम** प्रमोद

मु०अं०सं०- 144/2012
धारा- 307 भा०दं०सं०,
थाना- नयागाँव, जिला एटा।

<u>16.07.2026</u>

पत्रावली प्रस्तुत हुयी,

सहायक शासकीय अधिवक्ता उपस्थित आये तथा आदेश पत्रिका पर पृष्ठांकन किया कि इस स्तर पर कोई साक्ष्य नहीं देना है।

पत्रावली में कार्यवाही धारा- 299 द०प्र०सं० पूर्व में ही अग्रसारित की जा चुकी है। अतः यह उचित होगा कि पत्रावली को धारा- 299 द०प्र०सं० में अभिलेखागार प्रेषित किया जाय। पत्रावली निम्न शर्तों के साथ धारा- 299 द०प्र०सं० में अभिलेखागार प्रेषित की जाती है-

<u>आदेश</u>

1. अभियुक्त अभियुक्त **प्रमोद पुत्र धर्मसिंह, निवासी- बनौरा, थाना- नयागाँव, जिला- एटा** के स्थायी गैर जमानती वारण्ट जारी किये जाये।
2. थानाध्यक्ष नयागाँव, एटा को आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त **प्रमोद पुत्र धर्मसिंह, निवासी- बनौरा, थाना- नयागाँव, जिला- एटा** की तलाश जारी रखें तथा उसे मिलने पर गिरफ्तार कर न्यायलय में उपस्थित कराना सुनिश्चित करें।

   आप अभियुक्त के विरूद्ध स्थायी वारंट मफरूरी रजिस्टर में इंद्राज करें तथा थाने पर मफरूरी रजिस्टर में दर्ज क्रम संख्या जिस पर स्थायी वारण्ट का इन्द्राज किया गया है, न्यायालय में प्रस्तुत करें।
3. कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि वह पत्रावली को अभिलेखागार प्रेषित करने से पूर्व लाल इंक से स्पष्ट रूप से यह अंकित करें कि यह पत्रावली धारा- 299 द०प्र०सं० में दाखिल दफ्तर की जा रही है तथा इसे नष्ट नहीं किया जाना है।
4. आदेश की एक- एक प्रति जिलाधिकारी, एटा व एस०एस०पी०, एटा को सूचनार्थ प्रेषित की जाय।
5. पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(मनीषा)

<u>दिनांकः 16.07.2026</u> अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-01,
एटा।